

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय उपखण्ड अहकाम

खण्ड

मोटन कुमावत

बनाम

लोक कुमावत वगैर

किस्म मुकदमा

प्राथमिक पत्र

नं.

206

सन

2015

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>16-5-17</p>	<p>वास्तु जवाब शेष रहे विपक्षीगण के दि 18-5-17 को पेश हो।</p> <p>पञ्जावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम कपाहली टुंडी में पेश इसी वादी मय कबिवमन व परिवारी कम 9, 10 वमर कैम्प मौजूद। शेष विपक्षीगण अनुप्राथमिक को सुना गया। प्रकण का मैरिट पर परिक्षण बिधा गया। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त किराजियात पर रेकार्ड एवं मौके की त्रयाक्षिपति बनाये रखने वाला अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगणों को मूल वाद के निष्ठाण तक पाबंद किये जाने की इच्छा कैम्प में न्यायालय के समक्ष की। उपस्थित विपक्षीगण द्वारा भी इस पर अपनी सहमती व्यक्त की। प्रकण का गुणावगुण पर अवलोकन बिधा गया। यूपी मूल वाद के निष्ठाण में समय लगना स्वाभाविक है यदि विपक्षीगणों द्वारा दौरान वाद विवादग्रस्त किराजियात का बैचान या अनुरण आदि कर दिया जाता हो तो प्रार्थी को निश्चित रूप से अपूर्णीय दानि होगी। तथा सुविधा अनुमति की दृष्टि से भी प्रकण प्रार्थी के पक्ष</p>	<p>(विपक्षीगणों 16/5/17)</p> <p>निम्बंर गोपाल</p> <p>सि. मोह</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
----------------	------------------------------------	----------------------------------------

से बना है।
 आर: आदेशिका दि 25-6-15 से
 जारी ~~अ~~ अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
 को मूल वाद के निष्कारण तक confirm
 किये जाने के आदेश पारित किये
 जाते हैं।
 पञ्चवली तम्बार से कम की जाकर
 फिशनल शुमार की प्रकण मूल वाद
 के साथ संलग्न रही।

(दि 11/12/15)
 (11/12/15)

प्रमाणित
 मोहताब

12/12/15